

अनुबंध - 1

संकल्प ढांचा -2.0
(व्यक्तियों को मौजूदा वैयक्तिक ऋण के लिए)

पत्र संख्या: _____

दिनांक: _____

बैंक शाखा का नाम और पता:

सेवा में,

(उधारकर्ता का नाम और पता)

प्रिय महोदय / महोदया,

ऋण खाता संख्या:.....

संकल्प ढांचा-2.0 के तहत वैयक्तिक ऋण का समाधान

दिनांक 05.05.2021 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी ऋण(क्रेडिट) सुविधा संकल्प ढांचा-2.0 के तहत समाधान योजना के लिए पात्र हो सकती है। समाधान योजना की अनुमत विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

किश्तों का पुनर्निर्धारण (24 महीने तक)*
पुनर्निर्धारण के तहत ऋण-स्थगन की अवधि (24 महीने तक)
किसी भी अर्जित ब्याज या अर्जित होनेवाले ब्याज का एफआईटीएलमें में परिवर्तन

(*संकल्प ढांचा - 1.0 और 2.0 दोनों को मिलाकर कुल पुनर्निर्धारण 24 महीने से अधिक नहीं होगा।)

यदि आप संकल्प ढांचा-2.0 के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप कृपया संकल्प ढांचा-2.0 के लिए विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन 'होम ब्रांच' को (व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से) / ईमेल आईडी के जरिए प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप संकल्प ढांचा-2.0 के तहत लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए अनुसार इससे बाहर होने (ऑफ्टआउट) संबंधी अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय,

शाखा प्रबंधक

.....

ऑफ्ट-आउट

मुझे/हमें संकल्प ढांचा-2.0 के तहत सुविधा की आवश्यकता नहीं है और मैं/हम इससे बाहर होने(ऑफ्ट-आउट) का इरादा व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

तारीख:

स्थान:

उधारकर्ता का हस्ताक्षर

**संकल्प ढांचा -2.0 के तहत समाधान के लिए आवेदन
(व्यक्तियों को मौजूदा वैयक्तिक ऋण के लिए)**

पूरा नाम	
पिता /पति का नाम	
वर्तमान पता	
मोबाइल नंबर ई -मेल आईडी	

मैंने बैंक से निम्नसूचित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है :
(रुपये में)

खाता संख्या	सुविधा का स्वरूप	मंजूर/स्वीकृत सीमा

मैं एतद्वारा निम्नानुसार घोषित और प्रमाणित करता हूँ :

मुझे वर्तमान में निम्नलिखित कारणों से कोविड- 19 दूसरी लहर के फिर से उभरने के कारण खाता चलाने में कठिनाई हो रही है:

- वेतन में कमी व्यापार आय में कमी
 किराये की आय में कमी अन्य (स्पष्ट करें)

i. मैं/हम समाधान/ ढांचा 2.0-के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं/और मैं/हम एतद्वारा / हम उक्त दिशानिर्देशों के तहत लाभ उठाने/घोषणा करते हैं कि मैं के लिए पात्र हूँ/हैं/

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आरबीआई के दिनांक 05.05.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे/हमारे ऋण खाते के लिए निम्नलिखित समाधान योजना की व्यवस्था करें:

	हाँ/नहीं	यदि 'हाँ' है तो ब्यौरा दें
किशतों का पुनर्निर्धारण (24 महीने तक)*	 महीने (24 महीने तक)
पुनर्निर्धारण के तहत ऋण-स्थगन की अवधि (24 महीने तक)	 महीने (24 महीने तक)
किसी भी अर्जित ब्याज या अर्जित होनेवाले ब्याज का एफआईटीएलमें में परिवर्तन		

* (संकल्प ढांचा - 1.0 और 2.0 दोनों को मिलाकर कुल पुनर्निर्धारण 24 महीने से अधिक नहीं होगा।)

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि आपको प्रस्तुत मेरे/हमारे आवेदन की विषय-वस्तु, मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। यदि मेरे/हमारे आवेदन में दिए गए किसी भी विवरण को बाद में सही नहीं पाया जाता है, तो बैंक को समाधान ढांचा -2.0 के तहत प्रदान की गई किसी भी/किन्हीं रियायत/रियायतों/लाभ को वापस लेने / बंद करने का अधिकार होगा।

मैं/हम एतद्वारा मुझे/हमें यह सुविधा मंजूर करते समय बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख :

स्थान :

उधारकर्ता/ओं के हस्ताक्षर